

9/12
9/21

आज यह पत्रावली प्राची अधिवक्ता
के द्वारा मूलवाद में प्राथमिक पत्र
आदेश 23 नियम 1 CPC पेश करने
पर पेशी में ली गई। वही के द्वारा
मूलवाद को प्राथमिक पत्र आदेश 23
नियम 1 CPC से नोटप्रेस किया गया
है। अब इस प्रकरण में कोई कथित
अपेक्षित नहीं है। लिहाजा प्राची का
प्राथमिक पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTI
इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।
तथा प्रकरण में जारी दिनांक 03/12/21
की अस्थाई निवेधाना निरस्त की जाती
है। पत्रावली निती लेकर नम्बर से
कम लेकर वाचिल दफतर हो



उपखण्ड अधिकारी (राजस्थान)
श्री कर्णपुर